[2020] 11 एस. सी. आर 471

केंद्रीय आयोग के आयुक्त,

ग्राहक और सेवा कर, कालीकट

वी.

एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे,

कन्नूर केराला और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 7240-7248 2009)

19 अगस्त, 2020

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944। 4 2000 में संशोधित-उत्पाद शुल्क का प्रभार-उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन की विधि-वर्तमान मामलों में इसी तरह के तथ्यों से उत्पन्न होने वाले, मूल्यांकनकर्ताओं ने कथित रूप से उनके द्वारा निर्मित और स्वीकृत माल का कम मूल्यांकन किया-वास्तव में देय उत्पाद शुल्क से बचना-2000 के संशोधन से पहले और बाद में मूल्यांकन की अवधि-न्यायनिर्णायक अधिकारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना कि उत्पाद शुल्क का कम मूल्यांकन और चोरी हुई थी-सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) ने हालांकि उक्त निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन मामलों को शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारण के लिए वापस भेज दिया-आयोजितः

डब्ल्यू. आर. टी. अवमूल्यन और उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाना

सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा सभी मामलों में निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है-इसके अलावा, संशोधन से पहले, धाराओं की उप-धारा (1) का खंड (ए)। 4 थोक व्यापार के दौरान एक साधारण बिक्री के लिए सामान्य मूल्य पर जोर दिया गया है, संशोधन के बाद यह लेनदेन मूल्य के बारे में बात करता है-इस प्रकार, संशोधन के बाद, यदि कोई बिक्री एस द्वारा कवर की जाती है। 4 (1) (क), उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य एस में परिभाषित लेनदेन मूल्य होगा। 4 (3) (घ)-उप-धारा (1) का खंड (ख), संशोधन से पहले और बाद में, खंड (क) के दायरे में नहीं आने वाले मामलों के लिए मूल्यांकन की विधि निर्धारित करना प्रत्यायोजित विधान पर छोड़ देता है-संशोधन के बाद, केंद्र सरकार ने 1975 के अधिक्रमण में नियमों का एक नया सेट-2000 मूल्यांकन नियम जारी किया।

मूल्यांकन नियम-नियमों के अनुसार मूल्यांकन की अनुमति केवल निम्नलिखित में है -

अधिकारियों को मामलों का पुनः निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए-वित्त अधिनियम, 2000-केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (मामलों का निर्धारण) परिसंचारी वस्तुओं का मूल्य) नियम, 2000-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम, 1975-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले सामान्य मुद्दे

यह इन बैचों में शामिल तथ्यों से देखा जा सकता है

ऐसे मामले हैं कि एक सामान्य धागा है जो इन मामलों के कपड़े के साथ चलता है। यह सामान्य सूत्र यह है कि इन मामलों में कर निर्धारिकों ने कथित रूप से माल का कम मूल्यांकन किया, उन्हें चालान में दिखाई देने वाली कीमत से बहुत अधिक कीमत पर बेचा और इस तरह वे वास्तव में देय उत्पाद शुल्क से बच गए। यद्यपि कर निर्धारिकों ने समान रूप से उक्त आरोप का खंडन किया, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सभी मामलों में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि कम मूल्यांकन और उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। उक्त निष्कर्ष को निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए यह अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए, निर्णय के लिए जो उत्पन्न होता है वह केवल निर्धारिती द्वारा विक्रेताओं को या उनके माध्यम से बिक्री के लिए हटाए गए माल के मूल्य को निर्धारित करने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, पूरा विवाद अब शुल्क लगाने के उद्देश्यों के लिए, उत्पाद शुल्क के मूल्य निर्धारण के सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। लेकिन उक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, मूल्यांकन की अवधि पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें से कुछ मामलों में, मूल्यांकन की अवधि 01.07.2000 से पहले और बाद दोनों में थी और अन्य मामलों में, अवधि 01.07.2000 के बाद की थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, 01.07.2000 से पहले मूल्य निर्धारण की विधि 01.07.2000 के बाद मूल्यांकन की विधि से अलग थी, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 को 2000 के अधिनियम 10 के तहत 01.07.2000 से संशोधित किया गया था। संशोधित धारा 4 में भी वर्ष 2003 और 2012 में कुछ बदलाव किए गए। न्यायालय 2012 में लाए गए परिवर्तनों से चिंतित नहीं है।

[पारस 77,78] [500-सी-जी]

1.2 सरल शब्दों में, धारा 4 में मूल्यांकन के 2 अलग-अलग तरीके निर्धारित किए गए थे क्योंकि यह 01.07.2000 से पहले थाः

(i) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा कवर किया गया, जहां सामान्य मूल्य पर जोर दिया गया था,

थोक व्यापार के दौरान सामान्य बिक्री से सह-संबंधित किसका निर्धारण (कुछ निश्चित को संतुष्ट करना)

शर्तें), और COMMNR।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे

((ii) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा कवर किया गया एक अन्य, जो उन मामलों से संबंधित है जहां कोई नहीं था

बिक्री, और ऐसे मामले जहां सामान्य कीमत नहीं हो सकती है किसी अन्य कारण से सुनिश्चित किया गया। [पैरा 80] [507-सी-डी]

1.3 2000 में संशोधन से पहले धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निहित अनुदेशों का सारांश इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः

पहले नियम के रूप में, सामान्य कीमत, अर्थात् कीमत

आई.

जिन वस्तुओं को आम तौर पर थोक व्यापार के दौरान बेचा जाता है, उन्हें मूल्य के रूप में लिया जाएगा, यदि खरीदार कोई संबंधित व्यक्ति नहीं है और कीमत उसी के लिए एकमात्र विचार है।

लेकिन ऐसे मामलों में जहां अलग-अलग कीमतें ली जाती हैं

II.

खरीदारों के विभिन्न वर्गों, ऐसे प्रत्येक मूल्य को खरीदारों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में सामान्य मूल्य माना जाना चाहिए।

III. इसी तरह, अगर अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग शुल्क लिया जाता है।

हटाने के स्थानों पर, सामान्य कीमत हटाने के प्रत्येक ऐसे स्थान के संबंध में ली जाने वाली कीमत होगी।

IV.

जहाँ सामान आम तौर पर पाठ्यक्रम में नहीं बेचे जाते हैं किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से छोड़कर, थोक व्यापार का सामान्य मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर अन्य विक्रेताओं को थोक व्यापार के दौरान संबंधित व्यक्ति द्वारा सामान सामान्य रूप से बेचा जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 4 (1) (ए) के तहत, जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था, उसमें निर्धारित मूल्यांकन की विधि थी

थोक व्यापार के दौरान एक साधारण बिक्री के लिए सामान्य मूल्य से सीधे जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसे मामलों में जहां सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता था, वह धारा 4 (1) (बी) के तहत आएगा और ऐसे मामलों में मूल्यांकन वर्ष 1975 के मूल्यांकन नियमों के संदर्भ में किया जाना था। खंड (बी) एक स्थिति की पहचान करता है, अर्थात् जहां माल नहीं बेचा जाता है, जिसमें सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, खंड (बी) इस तथ्य को भी मान्यता देता है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है।

कोई और कारण। इन मामलों में शायद बिक्री शामिल हो सकती है। अन्यथा थोक व्यापार के दौरान। [पारस 81,82] [507-ई-एच; 508-ए-सी] [2020] 11 एस. सी. आर.

1.4 हालांकि खंड में "सामान्य मूल्य" शब्दों का उपयोग किया गया था।

4 (1) (क) खंड (क) के परंतुक ने इस तथ्य को मान्यता दी कि सामान्य मूल्य सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से भिन्न हो सकता है।

खरीदारों का वर्ग दूसरे स्थान पर या हटाने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। 2000 के अधिनियम 10 के तहत संशोधन द्वारा, से प्रभावी

01.07.2000 , "सामान्य मूल्य" और "थोक व्यापार के दौरान" शब्दों को हटा दिया गया था। इसके बजाय, धारा 4 (1) (ए) में "लेन-देन मूल्य" शब्द जोड़े गए थे। [पारस 83,84] [508-डी-ई]

1.5 हालांकि ग्रासिम इंडस्ट्रीज में संविधान पीठ ने कम से कम धारा 4 (1) की भाषा में "सामान्य मूल्य" से "लेनदेन मूल्य" में बदलाव का उल्लेख किया, संविधान पीठ ने अंतर के एक प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात् 01.07.2000 से पहले की धारा 4 (1) (a) का ध्यान थोक व्यापार के दौरान सामान्य रूप से की गई बिक्री के संबंध में सामान्य मूल्य का पता लगाने पर था। जहां भी कोई बिक्री नहीं थी, वहां मूल्यांकन की विधि धारा 4 (1) (बी) को ध्यान में रखते हुए नियमों के आधार पर होनी थी। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां बिक्री हुई थी

(i) थोक व्यापार के दौरान लेकिन खंड (क) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुईं या

((ii) किसी अन्य कारण से सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका, मूल्यांकन की विधि को उपखंड (बी) के तहत छोड़ दिया गया था।

निर्धारित करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण की धारा 4 की धारा (1)। संशोधन से पहले खंड (ख) में पाए गए "किसी अन्य कारण से" शब्दों से निकलने वाला निहितार्थ इस संबंध में महत्वपूर्ण है। 2000 के अधिनियम 10 के तहत संशोधन के बाद, सामान्य मूल्य निर्धारण विधि चली गई थी, क्योंकि में बिक्री से ध्यान स्थानांतरित हो गया था

थोक व्यापार का पाठ्यक्रम। [पैरा 86] [509-बी-डी]

सी. सी. ई बनाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2018) 7 एस. सी. सी. 233: [2018] 6 एस. सी. आर. 1099-संदर्भित।

1.6 जबकि धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) ने, जैसा कि संशोधन से पहले था, सामान्य मूल्य पर जोर दिया, खंड

(क) धारा 4 की उप-धारा (1), जैसा कि यह संशोधन के बाद है, लेन-देन मूल्य के बारे में बताती है। उप-धारा (1) का खंड (बी), संशोधन से पहले और बाद में, इसे प्रत्यायोजित व्यक्ति पर छोड़ देता है। खंड (क) द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों के लिए मूल्यांकन की विधि निर्धारित करने के लिए कानून। सी. ओ. एम. एम. एन. आर. की धारा 4 (1) के तहत मूल्यांकन के लिए।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे

"लेन-देन मूल्य" का पालन करें, (संशोधन के बाद) खंड (ए) में निर्धारित तीन शर्तों का पालन करें, अर्थात् (i) माल को हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बेचा जाता है, (ii) कि निर्धारिती और खरीदार संबंधित नहीं हैं और (iii) कि कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है, का समाधान किया जाना चाहिए। यदि खंड (क) में उल्लिखित तीन शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो मामला धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत आता है, जो "किसी अन्य मामले में" शब्दों से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में, खंड (ए) द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों में, मूल्य का निर्धारण उस तरीके से किया जा सकता है जो निर्धारित किया जाए। [पारस 87-89] [509-E-H]

1.7 2000 के अधिनियम 10 के तहत संशोधन के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नामक नियमों का एक नया सेट जारी किया।

मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000। ये नियम 1975 के मूल्यांकन नियमों के स्थान पर धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे। उपरोक्त 2000 नियमों के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क का निर्धारण उक्त नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार मूल्यांकन केवल धारा 4 (1) (बी) के तहत आने वाले मामलों में ही अनुमत है।

और धारा 4 (1) (ए) द्वारा नहीं। हाथ में मुद्दों के उद्देश्य के लिए, उपरोक्त नियमों में गहराई से ध्यान देना आवश्यक नहीं हो सकता है।

[पारस 90,91] [510-ए-सी]

1.8 यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि कोई बिक्री धारा 4 (संशोधन के बाद) की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत आती है, तो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु 'लेन-देन मूल्य' होगी। इस अभिव्यक्ति 'लेन-देन मूल्य' को धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (डी) में परिभाषित किया गया है। लेकिन यदि कोई मामला धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के दायरे में नहीं आता है, तो उत्पाद शुल्क का मूल्य 2000 के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः इसमें

सारतः, एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी 01.07.2000 के बाद हुए लेन-देनों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य हैः

(i) सबसे पहले, उसे यह देखना होगा कि क्या कोई बिक्री है और ((ii) इसके बाद, उसे यह देखना होगा कि क्या इस तरह की बिक्री तीनों को संतुष्ट करती है।

की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्धारित शर्तें

खंड 4.

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन मामलों में बिक्री होती है और धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्धारित तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नलिखित के आधार पर मूल्य निर्धारित करना चाहिए:

लेन-देन मूल्य। लेकिन (i) उन मामलों में जहां कोई बिक्री नहीं है और (ii) उन मामलों में जहां बिक्री है लेकिन तीन शर्तें

खंड (ए) में निर्धारित संतुष्ट नहीं होते हैं, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 पर वापस जाना चाहिए। [पारस 92-94] [510-D-G]

1.9 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण के पास क्या था

और इन मामलों में नहीं किया था मोटे तौर पर, मामलों के बैचों में (एक या दो अपवादों के साथ), न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित पर आए:

निष्कर्ष निकालना:

((i)

कि अवमूल्यन और कर्तव्य की चोरी थी;

कि पहले और बाद दोनों में हुई बिक्री के संबंध में

((ख)

01.07.2000 , चालान मूल्य, चालान मूल्य के ऊपर और ऊपर भुगतान की गई नकदी के साथ, सामान्य मूल्य या लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसा कि मामला है

हो सकता है और

(iii) ऐसे मामलों में जहां यह दिखाने के लिए सबूत थे कि एक व्यापारी ने चालान मूल्य से अधिक भुगतान किया था, ऐसे व्यापारी द्वारा भुगतान की गई राशि, हालांकि निर्धारिती के साथ किए गए कई लेनदेनों में से केवल कुछ के लिए ही संबंधित है, को सामान्य मूल्य या लेनदेन मूल्य, जैसा भी मामला हो, सभी लेनदेनों पर लागू माना जाना चाहिए।

जो विशेष विक्रेता के पास निर्धारिती के साथ था।

इसी तरह, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने इन सभी मामलों में जो किया वह है:

अवमूल्यन और चोरी के निष्कर्ष को बनाए रखना

((i)

कर्तव्य की;

((ख)

यह रखने के लिए कि चालान मूल्य को इस रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है

01.07.2000 से पहले के मामलों के संबंध में सामान्य मूल्य और जहां भी वास्तव में एक व्यापारी द्वारा एक विशेष राशि का भुगतान किया गया है, उसे एम. एन. आर. लिया जा सकता है।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे

लेनदेन मूल्य होने के लिए, बाद के मामलों के लिए

01.07.02000 ; और

((ग) यह अभिनिर्धारित करना कि सामान्य मूल्य का निर्धारण या

लेन-देन मूल्य, जैसा भी मामला हो, केवल अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन

बोर्ड भर में सभी लेनदेन के लिए नहीं।

[पारस 95,96] [511-ए-एफ]

1.10 लेकिन न्यायनिर्णायक अधिकारियों के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी.

इसो मामलों के इन बैचों में कुछ करने में विफलता का दोषी है।

ये हैं:

धारा 4 (1) द्वारा कवर किए गए मामलों में पता लगाने में विफलता

((i)

जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था, क्या खंड के तहत आने वाली, उसमें निर्धारित 3 शर्तों को पूरा करते हुए, थोक व्यापार के दौरान बिक्री हुई थी।

(क) उप-धारा (1) की या क्या विचाराधीन बिक्री धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत आती है;

((ख)

धारा 4 (1) द्वारा कवर किए गए मामलों में पता लगाने में विफलता

जैसा कि 2000 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधित किया गया है, क्या विचाराधीन बिक्री 2000 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आती है। धारा 4;

(iii) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत आने वाली बिक्री की स्थिति का पता लगाने में विफलता।

(संशोधन से पहले या बाद में), चाहे

मूल्यांकन केवल नियमों (1975 के नियम या 2000 के नियमों के अनुसार किया जाना था।

हो सकता है), और

((iv) धारा 4 (1) (बी) द्वारा कवर किए गए मामलों में, 1975 के बीच लागू होने वाले विशिष्ट नियम का पता लगाने में विफलता या

2000 नियम, क्योंकि इसमें विभिन्न नियम शामिल हैं

विभिन्न आकस्मिकताएँ, दोनों 1975 के नियमों में और

2000 के नियमों में।

चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी.

1 ऊपर बताए अनुसार निर्धारण करने के लिए, के आदेश

न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया, हालांकि पूरी तरह से अलग

एनएस, उचित थे। [पारस 97,98] [511-जी; 512-ए-डी] [2020] 11 एस. सी. आर.

1.11 निष्कर्ष

इन अपीलों का निपटारा किया जाता है, जिससे विवादित की पुष्टि होती है।

सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश-इन-ओरिजिनल पारित किए गए

न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों द्वारा और मामलों को पुनः निर्णय के लिए वापस भेजना। तथापि, पुनर्विलोकन का अभ्यास करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों को नीचे दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिएः

A. ऐसे मामले जहां मूल्यांकन की अवधि से पहले है

01.07.2000

आई.

सबसे पहले उस कीमत का पता लगाएँ जिस पर ऐसी वस्तुएँ हैं।

आम तौर पर निर्धारिती द्वारा एक ऐसे खरीदार को बेचा जाता है जो उससे संबंधित नहीं है, थोक व्यापार के दौरान, हटाने के समय और स्थान पर और यह भी पता लगाएं कि क्या कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसका पता लगाने में सक्षम है, तो वह सामान्य मूल्य के रूप में ऐसी कीमत ले सकता है और धारा 4 (1) (ए) द्वारा कवर किए गए मामले को लागू कर सकता है, जहां भी अनुमत हो,

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) के लिए परंतुक।

II.

यदि सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए भी इस कारण से कि माल नहीं बेचा गया है या किसी अन्य कारण से, वह यह मान सकता है कि मामला धारा 4 (1) (बी) के तहत आएगा और ऐसे मामलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम, 1975 का सहारा ले सकता है।

III. वाक्यांश "किसी अन्य कारण से" में दिखाई देता है

स्पष्ट या जहां समान, हालांकि स्पष्ट है, उसे हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी से नहीं जोड़ा जा सकता है या जहां कीमत एकमात्र नहीं है बिक्री के लिए विचार, भले ही हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए थोक व्यापार के दौरान ली गई कीमत उपलब्ध हो।

यदि मामला धारा 4 (1) (बी) के तहत आता है और

IV.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 1975 के नियमों में निर्धारित मूल्यांकन की विधि का सहारा लेता है, वह यह पता लगाएगा कि प्रासंगिक नियमों में से कौन सा सी. ओ. एम. एम. एन. आर. लागू होगा।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे

मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले उपलब्ध मामलों के लिए।

बी. ऐसे मामले जहां मूल्यांकन की अवधि बाद में है

01.07.2000

सबसे पहले विशेष रूप से "लेन-देन मूल्य" का पता लगाएं।

आई.

उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा का संदर्भ

धारा 4 (3) (घ) में निहित है।

II.

इस प्रकार निर्धारित लेनदेन मूल्य को मामलों में लागू करें। जहां तीन शर्तें, अर्थात् (i) माल को हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए बेचा जाता है, (ii) निर्धारिती और खरीदार संबंधित नहीं हैं और (iii) मूल्य एकमात्र विचार है, संतुष्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामले धारा 4 (1) (ए) के तहत आते हैं।

III. ऐसे मामलों में जहां उपरोक्त तीन में से एक या अधिक

शर्तें पूरी नहीं होती हैं, और ऐसे मामलों में भी जहां कोई बिक्री नहीं होती है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को मामलों को धारा 4 (1) (बी) के तहत आने वाला मानना चाहिए और इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन का सहारा लेना चाहिए।

(उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000।

यदि कोई मामला धारा 4 (1) (बी) के तहत आता है और

IV.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण विधि का सहारा लेता है

2000 के नियमों में निर्धारित मूल्यांकन के बारे में आगे बढ़ने से पहले वह यह पता लगाएगा कि संबंधित नियमों में से कौन सा मामले पर लागू होगा।

मूल्यांकन।

समान रूप से लागू होने वाले सिद्धांत (पूर्व और पोस्ट दोनों)

संशोधन)

ग. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण किसी भी राशि पर विचार कर सकता है।

धारा 4 (1) (ए) (संशोधन के बाद) के तहत आने वाले मामलों में भी उत्पाद शुल्क के रूप में चालान मूल्य के ऊपर या तो नकद में या अन्यथा प्राप्त किया गया, क्योंकि धारा 4 (3) (डी) के तहत "लेनदेन मूल्य" की परिभाषा का अर्थ है वास्तव में कीमत। भुगतान या देय।

घ. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखेगा।

कि जबकि अभिव्यक्ति "सामान्य मूल्य" को [2020] 11 एस. सी. आर. में परिभाषित नहीं किया गया था।

संशोधन से पहले धारा 4 (1) में "लेन-देन मूल्य" अभिव्यक्ति को धारा 4 (3) (डी) में बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा समावेशी के साथ-साथ संपूर्ण भी है।

ई. जहाँ भी कोई निष्कर्ष निकलता है कि कोई विशेष विक्रेता /

ग्राहक ने चालान में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, उस पर ध्यान दिया है, चालान मूल्य के साथ उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान को उन सभी लेनदेनों के लिए लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाएगा जो विशेष विक्रेता/ग्राहक ने निर्धारिती के साथ किए थे। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यापारी/ग्राहक ने विचाराधीन अवधि के दौरान 10 खरीदारी की है, तो चालान में बताए गए एक विशेष मूल्य के लिए, उन लेनदेनों में से कुछ से संबंधित सामग्री के आधार पर निर्धारित लेनदेन मूल्य, उस अवधि के लिए उस ग्राहक/व्यापारी के सभी लेनदेनों पर लागू किया जा सकता है। हालांकि, समान मूल्य अन्य विक्रेताओं/ग्राहकों पर लागू नहीं किया जा सकता है। संशोधन के बाद उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

च. चूंकि मामले एक दशक से अधिक पुराने हैं, इसलिए

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी सुनवाई कर सकते हैं, पक्षों को पर्याप्त अवसर दे सकते हैं और जल्द से जल्द मूल रूप से आदेश पारित कर सकते हैं।

जितना हो सके। [पैरा 99] [512-ई-एच; 513-ए-एच; 514-ए-जी]

सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम। डी. भूरमल (1983)

13 ईएलटी 1546 (एससी)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 6 एससीआर 1099

संदर्भित किया गया है

पै

रा 85

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

7240-7248 2009 से।

सीमा शुल्क के 24.03.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आबकारी और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, बैंगलोर में दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, अपील सं। ई/947-954/2006 और ई/339/07।

के साथ सी . ए.
सं. 8615-8620 2009 में, 2236-2253,3231-3233,3227-3230,

6564-6567 , 9988-9991 2011 से।

बलबीर सिंह, एएसजी, सुश्री निशा बागची, अभिषेक अत्रे, बी. कृष्णा

प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, वी. के. मोंगा, वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा कॉमनर।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड और दरवाजे

मेहता, कुणाल कपूर, सुश्री मौनिका कस्तूरी, गौतम नारायण, सुश्री अस्मितासिंह, आदित्य नायर, एम. पी. देवनाथ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

परिचय

1. हाथ में सभी अपीलें विभिन्न आयुक्तालयों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्तों द्वारा दायर की जाती हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 35 एल (1) (बी) के तहत, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्र द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है।

बैंगलोर (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) में सात अलग-अलग बैचों के मामलों में पीठ, लेकिन समान तथ्यों से उत्पन्न होती है और समान प्रश्न उठाती है।

लीड केस को कॉल करें) उत्पन्न होता है, विस्तार से दर्ज किया जाता है। मामलों के अन्य बैचों में तथ्यों को संक्षेप में और इस हद तक दर्ज किया जाता है कि इनकी कुछ विशिष्टताएँ हैं। वास्तव में, नाम से निर्धारिती से संबंधित मामलों का समूह, मेसर्स। सी. ई. आर. ए. बोर्ड और दरवाजे (सिविल अपील संख्या में उत्तरदाता। 7240-7248 2009), सबसे पहले सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा तय किया गया था। इसके बाद, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सी. ई. आर. ए. बोर्डों में निर्धारित अनुपात के आधार पर मामलों के अन्य 6 बैचों का फैसला किया। यही कारण है कि सिविल अपील सं। 7240-7248 2009 के मामले को प्रमुख मामले के रूप में लिया जाता है।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 7240-7248 2009 का

3. एम/एस। सी. ई. आर. ए. बोर्ड एंड डोर्स, कन्नूर, जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, स्वीकार्य रूप से प्लाईवुड/ब्लॉक का निर्माण करता है।

बोर्ड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डी. जी. सी. ई. आई.) द्वारा कन्नूर, केरल में उनके कारखाने परिसर और बैंगलोर में उनके डिपो में 17.10.2002 और उसके बाद के दिनों में तलाशी ली गई। फर्म के भागीदारों के आवासों, उनके कुछ कर्मचारियों के आवासों और उनके कुछ डीलरों के परिसरों में भी तलाशी ली गई।

4. सी. ई. आर. ए. बोर्ड एंड डोर्स एक साझेदारी फर्म है जिसमें श्री के. एस. हैरिस और श्रीमती शामिल हैं। भागीदार के. पी. रशिदा। उनके बैंगलोर डिपो का प्रबंधन इसके प्रबंधक श्री एस. टी. एस. भास्कर

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. तलाशी के बाद की गई जांच से पता चला कि निर्धारिती ने उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का कम मूल्यांकन किया था और उनके कारखाने से माल को हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। 4,29,01,384 01.12.1998 से 05.12.2002 तक की अवधि के दौरान।

6. तलाशी के बाद, सी. ई. आर. ए. बोर्डों ने राशि का भुगतान किया

रु. 12,50,000 संबंधित अवधि के दौरान प्रभावी मंजूरी के लिए शुल्क में कमी की ओर। इसके बाद, 07.04.2003 और 22.12.2003 दिनांकित कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए। सी. ई. आर. ए. बोर्डों से जब्त किए गए सामानों की प्रस्तावित जब्ती के लिए दिनांकित 07.04.2003 का कारण बताएँ नोटिस था।

एम/एस। प्लाई होम, एम/एस। गी प्लाई, एम/एस। डिकोवुड इंटीरियर्स, मेसर्स। अरिहंत मार्केटिंग और मेसर्स. कृष्ण एजेंसियां, क्रमशः मूल्यवान रु. 12,80,926 , रु. 27,961 , रु. 34,332 , रु. 2,88,585 , रु. 32,829 और रु. 1,00,000 . यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 25 के तहत था।

7. 22.12.2003 दिनांकित कारण बताएँ नोटिस (i) भुगतान के लिए था।

रुपये के अंतर शुल्क का। 4,29,01,384 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के तहत, (ii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज, (iii) रुपये की राशि का विनियोग। 12,50,000 तलाशी के तुरंत बाद उनके द्वारा स्वेच्छा से भुगतान किया गया, शुल्क देयता के लिए, (iv) अधिनियम की धारा 11 एसी के संदर्भ में और अधिनियम के नियम 173 क्यू के तहत भी जुर्माना।

पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944/केंद्रीय उत्पाद शुल्क का नियम 25

नियम, 2002 और (v) पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नियम 209 ए के तहत फर्म के प्रबंध भागीदार और प्रबंधक पर जुर्माना लगाना।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम, 1944/नियम 26।

8. उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस का आधार बनाने वाली सामग्री इस प्रकार थीः (i) श्री दयानंदन नाम के बिक्री कार्यपालक से बरामद किए गए खुले कागज, (ii) "अतिदेय बिलों" के विवरण वाले कंप्यूटर प्रिंट आउट, (iii) विभिन्न मोटाई वाले प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्डों की प्रति वर्ग फुट वास्तविक दर वाली मूल्य सूचियां, (iv) संबंधित अवधि के दौरान की गई बिक्री के विवरण वाली कुछ पर्ची, (v) खर्च के विवरण की प्रतियां, (vi) आवधिक नकद विवरण की प्रतियां और एक श्री जेवियर के माध्यम से भेजे गए नकद विवरण की प्रतियां, (vii) संग्रह पुस्तकें, (viii) चालान राशि और नकद में देय राशि का पक्षवार विवरण वाली लाल रंग की नोटबुक, (ix) एक नोटबुक जिसमें चालान राशि और नकद में देय राशि का विवरण होता है।

विभिन्न विक्रेताओं के साथ लेन-देन का विवरण, (x) एक हरे रंग की नोटबुक और दो रसीद पुस्तकें, (xi) बिक्री कार्यकारी श्री दयानंदन की डायरी और कुछ अन्य वस्तुएं।

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

9. तलाशी के दौरान जब्त किए गए उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, कारण बताएँ नोटिसों में दर्ज किए गए बयानों पर भी भरोसा किया गया।

(i) श्री दयानंदन (बिक्री कार्यकारी), (ii) श्री सिरिल डिसूजा (बिक्री कार्यकारी), (iii) श्री एम. पी. नारायणन, (iv) श्री के. एस. हैरिस (प्रबंध भागीदार), (v) श्री के. एस. मोहम्मद अली (के. एस. हैरिस के भाई), (vi) श्री गजानन के. कादोलकर (खरीदारों में से एक), (vii) श्री के. एस. अब्दुल बशीर (एक खरीदार), (viii) श्री बी. नारायण राव (एक खरीदार), (ix) श्री रियास मायालक्करे (खरीदार), (x) श्री जग।

(खरीदार), (xv) श्री टी. वी. जी. गणेशन (खरीदार) और (xv) श्री अब्दुल खयूम (खरीदार)।

10. ऊपर निर्दिष्ट दो कारण दर्शाओ नोटिसों के जवाब में, निर्धारिती ने दो जवाब भेजे, एक दिनांकित 09.08.2005 और दूसरा दिनांकित। 24.08.2005 . इन उत्तरों के माध्यम से, निर्धारिती ने उन सभी लोगों की जिरह करने की अनुमति मांगी जिनके बयान डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा दर्ज किए गए थे और यह रुख अपनाया कि कोई अवमूल्यन नहीं था।

11. निर्धारिती ने अपने उत्तरों में तर्क दिया कि वे न केवल बैंगलोर में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रहे थे, बल्कि तमिलनाडु और केरल के विक्रेताओं और बैंगलोर डिपो में लेनदेन के संबंध में जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर, सभी लेनदेन पर 70 प्रतिशत कम मूल्यांकन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

12. यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि विभाग ने कथित रूप से अपने दो कर्मचारियों द्वारा बनाए गए निजी दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहा

बैंगलोर डिपो के सुरेश और दीपक धीमान नाम के सदस्यों से पूछताछ नहीं की गई। निर्धारिती के अनुसार, वे अवधि के दौरान 153 डीलरों और अवधि के दौरान 3 डीलरों के साथ लेन-देन कर रहे थे, और यह कि विभाग कर्नाटक में उन डीलरों में से केवल 2 और केरल में 56 डीलरों में से केवल एक से दर्ज किए गए बयानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार नहीं था।

13. निर्धारिती द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि जहाँ तक 01.07.2000 से पहले की अवधि का संबंध है, जो प्रासंगिक है वह सामान्य है। मूल्य, अर्थात् वह मूल्य जिस पर वहां के कारखाने में माल बेचा जाता है। यह अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के संदर्भ में था जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि भले ही उन्हें कुछ खरीदारों से अधिक कीमत का एहसास हुआ हो, लेकिन 01.07.2000 से पहले की अवधि के संबंध में यह अप्रासंगिक होगा।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. जहाँ तक 01.07.2000 के बाद की अवधि का संबंध है, निर्धारिती द्वारा अपने उत्तरों में यह तर्क दिया गया था कि लेन-देन का मूल्य प्रत्येक चालान में दर्शाई गई कीमत के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

15. निर्धारिती से उत्तरों की प्राप्ति के बाद,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, कालीकट, व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार

सुनवाई में, गवाहों की प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई, निर्धारिती द्वारा भरोसा किए गए मामले के कानून का अध्ययन किया गया और फिर एक आदेश-इन-मूल संख्या 14/2006 दिनांक 09.05.2006 पारित किया गया। इस आदेश-इन-मूल के अनुसार,

आयुक्त (i) ने रुपये की राशि में शुल्क की मांग की पुष्टि की। 79,21,663 अधिनियम की धारा 11ए (1) के प्रावधान के तहत निर्धारिती से, (ii) अधिनियम की धारा 11एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iii) 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 79,21,663 नियम 25 के साथ पठित धारा 11एसी के तहत, (iv) ने निर्धारिती से जब्त किए गए माल को जब्त करने का निर्देश दिया, जिसका मूल्य रु। 12,80,926 रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ। 25,000 , (v) पांच अलग-अलग विक्रेताओं से जब्त किए गए सामान को जब्त करने का निर्देश दिया, हालांकि, रुपये से लेकर जुर्माने की राशि के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ। 2,500 रु. तक। 15,000 , (vi) एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 5,000 प्रत्येक, निर्धारिती और पांच विक्रेताओं पर और (vii) रुपये का जुर्माना लगाया। 5,000 प्रत्येक निर्धारिती के प्रबंध भागीदार और बैंगलोर डिपो में उसके प्रबंधक पर। 16. यह ध्यान देने योग्य है कि कारण दर्शाओ नोटिस में निहित प्रस्ताव अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू करने के लिए था

रु. तक का शुल्क। 4,29,01,384 01.12.1998 और 05.12.2002 के बीच की अवधि के लिए। लेकिन, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने केवल रुपये की सीमा तक मांग की पुष्टि की। 79,21,663 . न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष और उसके लिए दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

कि विक्रेताओं से दर्ज किए गए बयानों के अनुसार,

आई.

निर्धारिती आमतौर पर वास्तविक बिक्री विचार की तुलना में चालान में कम राशि दिखा रहा था और नकद के रूप में अंतर राशि एकत्र करने की आदत में था।

II.

कि हालांकि कुछ डीलर अपने मूल से पीछे हट गए

बयानों में कहा गया है कि पीछे हटना केवल प्रतिपरीक्षा के दौरान हुआ जो कई वर्षों के बाद हुआ और इसलिए, मूल बयानों को ध्यान में रखा जा सकता है; कि दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि ढीली पर्ची,

III.

कंप्यूटर प्रिंटआउट, नोटबुक, डायरी, रसीद किताबें आदि।

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा जब्त किए गए बयानों के साथ डिपो प्रबंधक और बिक्री अधिकारियों से स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए बयान

चालान के तहत दिखाया गया;

कि हालांकि विभाग ने अंतर शुल्क की मांग की थी

IV.

रु. तक। 4,29,01,384 विचाराधीन अवधि के लिए वास्तविक बिक्री कारोबार पर, विभाग ने केवल 11 ग्राहकों के संबंध में सबूत एकत्र किए, न कि उन सभी ग्राहकों से जिनके नाम शो के अनुलग्नक डी में उल्लिखित थे।

कारण सूचना;

वी.

कि इसलिए, विभेदक शुल्क की गणना होनी चाहिए केवल उपरोक्त 11 ग्राहकों से संबंधित बिक्री कारोबार और 3 और ग्राहकों से संबंधित कारोबार तक सीमित, जिनके स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किए गए थे;

VI.

कि इस न्यायालय द्वारा कलेक्टर में निर्धारित कानून को देखते हुए

सीमा शुल्क विभाग, मद्रास बनाम डी. भूरमल, विभाग सभी लेन-देनों में अवमूल्यन के निष्कर्ष पर आने के लिए सभी विक्रेताओं की जांच करने में अपनी असमर्थता का अनुरोध नहीं कर सका।

VII. कि उन 14 विक्रेताओं के संबंध में, विभाग द्वारा सकल अवमूल्यन के बारे में एक स्पष्ट मामला बनाया गया था

बिक्री मूल्य और

VIII. इसलिए, उन 14 विक्रेताओं के संबंध में बिक्री कारोबार के लिए सह-संबंधित अंतर शुल्क की मांग की जा सकती है।

17. मूल संख्या 14/2006 दिनांकित आदेश से व्यथित

स्वयं आयुक्त द्वारा दाखिल किया गया था। इस प्रकार, 9 अपीलें थीं, जिनमें से 8 निर्धारिती, उसके प्रबंध भागीदार, उसके प्रबंधक और पांच विक्रेताओं के कहने पर थीं, और जिनमें से अंतिम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा की गई थी। 18. निर्धारिती और उसकी मंडली के कहने पर दायर 8 अपीलों को अलग-अलग शुल्क, ब्याज, जुर्माना और जब्ती की मांग के खिलाफ निर्देश दिया गया था, जिसमें मोचन का विकल्प था, आयुक्त द्वारा दायर अपील इस आधार पर थी कि प्रस्ताव के खिलाफ

1 (1983) 13 ईएलटी 1546 (एससी)

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रुपये का एक अंतर शुल्क। 4,29,01,384 कारण दर्शाओ नोटिस में दिए गए निर्णय प्राधिकरण ने केवल इस हद तक मांग की पुष्टि की कि

रु. 79,21,663 .

19. अंतिम आदेश सं। 245-253 / 2009 दिनांकित 24.03.2009,

सी. ई. एस. टी. ए. टी. (आई) ने पाँच डीलरों द्वारा दायर सभी पाँच अपीलों को खारिज कर दिया।

जब्त माल की जब्ती के आदेश को मोचन के विकल्प के साथ चुनौती दी गई और (ii) निर्धारिती, उसके प्रबंध भागीदार और उसके प्रबंधक द्वारा दायर तीन अपीलों को अनुमति दी गई, जिसमें अंतर शुल्क, ब्याज और जुर्माने की मांग को चुनौती दी गई और दिए गए निष्कर्षों के आलोक में मामले को शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारण के लिए भेज दिया गया। राजस्व द्वारा दायर अपील ने निर्धारिती, उसके प्रबंध भागीदार और उसके प्रबंधक द्वारा दायर तीन अपीलों के भाग्य का भी अनुसरण किया।

20. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित अंतिम आदेशों का प्रभाव यह है कि (i)

मोचन के विकल्प के साथ जब्ती के विरुद्ध विक्रेताओं की अपील खारिज कर दी गई और (ii) अंतर शुल्क, ब्याज, जुर्माना आदि के अधिरोपण से उत्पन्न होने वाली मूल अपीलों को अनुमति दी गई और उन्हें नए सिरे से विचार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया।

21. अभिलिखित निष्कर्ष और उसके कारण, जैसा कि द्वारा दिए गए हैं

सी. ई. एस. टी. ए. टी. निम्नलिखित हैंः

कि नीचे दिखाने के लिए भारी सबूत थे

आई.

चालान;

II.

कि डिपो अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के आलोक में

साथ ही विक्रेताओं के रूप में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का निष्कर्ष

कि केवल वास्तविक मूल्य के 30 प्रतिशत का उल्लेख चालान में किया गया था, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
कि धारा 4 (1) (ए) के अनुसार, जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था,

III.

शुल्क सामान्य मूल्य पर देय था, अर्थात् वह मूल्य जिस पर ऐसे माल थोक व्यापार के दौरान सामान्य रूप से बेचे जाते थे; और इसलिए आयुक्त यह पता लगाने के लिए बाध्य था कि 01.07.2000 से पहले की गई मंजूरी के लिए थोक व्यापार के दौरान सामान्य मूल्य क्या था।

IV.

कि 01.07.2000 से पहले की गई बिक्री के संबंध में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामान्य मूल्य निर्धारण अपनाना चाहिए।

विधि; COMMNR।

कि 01.07.2000 के बाद की गई मंजूरी के लिए,

वी.

प्रत्येक लेन-देन के संबंध में लेन-देन मूल्य निर्धारित किया जाना था और अंतर शुल्क केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य तक ही सीमित था।

कि राजस्व की स्थिति जिसमें 70 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए

VI.

सभी मंजूरियों के संबंध में समान रूप से चालान मूल्य, हो सकता है

स्वीकार नहीं किया जाएगा और,

VII. इसलिए इस मामले में फिर से निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

22. इसलिए, राजस्व नौ अपीलों के इस समूह के साथ आया है, सिविल अपील संख्या। 7240-7248 2009 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 8615-8620 2009 का

23. अपीलों के इस समूह के तथ्य सिविल अपील संख्या के समान हैं। 7240-7248 2009 से। एम/एस। प्रेस्टीज बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, कन्नूर जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्ड भी बनाता है। उनके परिसरों में की गई इसी तरह की तलाशी से पता चला कि निर्धारिती ने अपने कारखाने से उनके द्वारा साफ किए गए सामान का बहुत कम मूल्यांकन किया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 2 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी। 2,72,03,232 01.12.1998 और 17.10.2002 के बीच की अवधि के दौरान।

कालीकट ने एक जांच की और एक आदेश पारित किया-इन-मूल संख्या 10/2006 दिनांक 27.03.2006, जिसके द्वारा, उन्होंने (i) रुपये की सीमा तक शुल्क की मांग की पुष्टि की। 1,50,23,911 अधिनियम की धारा 11 ए (1) के प्रावधान के तहत निर्धारिती से, (ii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iii) 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1,50,23,911 नियम 25 के साथ पठित धारा 11 एसी के तहत, ((iv) निर्धारिती से जब्त किए गए माल को जब्त करने का निर्देश दिया, जिसका मूल्य रु। 14,24,286 रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ। 1,50,000 , (v) मेसर्स से जब्त किए गए माल को जब्त करने का निर्देश दिया। प्रेस्टीज ट्रेडर्स, जिसका मूल्य रु। 5,49,176 , रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ। 50,000 , (vi) 11 एस. सी. आर. को जब्त करने का निर्देश दिया।

मेसर्स से जब्त किए गए माल का। प्लाई होम, जिसका मूल्य रु। 29,270 , एक के साथ

रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसी को भुनाने का विकल्प। 3000 , (vii) मेसर्स से जब्त किए गए माल को जब्त करने का निर्देश दिया। गी प्लाई, जिसका मूल्य रु। 38,268 , रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ। 3500 , (viii) एकमुश्त जारी करने का आदेश दिया। 2,50,000 एस से जब्त किया गया। पी. के. शकीर, (ix) ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 5,000 प्रत्येक एम/एस पर। प्रतिष्ठा

व्यापारी, मेसर्स। प्लाई होम और एम/एस। गी प्लाई, और (x) ने रुपये का जुर्माना लगाया। 50,000 प्रत्येक पर एस। के. एस. मोहम्मद अली (प्रबंध निदेशक) और एस. कुंजुरमन (प्रबंधक, बैंगलोर डिपो)।

26. आयुक्त ने माना कि साबित करने के लिए सबूत थे

अवमूल्यन, लेकिन मांग को केवल 20 ग्राहकों के साथ निर्धारिती के लेन-देन तक सीमित रखना था, जिनसे केवल सबूत मिले थे

एकत्र किया गया था। सी. ई. आर. ए. बोर्डों के मामले में पारित मूल आदेश की तरह, आयुक्त ने इस मामले में भी फैसला सुनाया कि (i) आई. डी. 1 से पहले की अवधि के संबंध में, सामान्य मूल्य में चालान में इंगित मूल्य और नकद के रूप में एकत्र की गई राशि शामिल होनी चाहिए, और (ii) आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए, लेनदेन मूल्य चालान मूल्य और नकद में एकत्र की गई राशि के अलावा और कुछ नहीं था।

27. मूल सं. 10/2006 दिनांकित 27.03.2006 आदेश से व्यथित, निर्धारिती, इसके प्रबंध निदेशक (श्री. के. एस. मोहम्मद अली), इसके बिक्री प्रबंधक (एस. कुंजुरमन), एम/एस। प्रेस्टीज ट्रेडर्स और जिन दो डीलरों से सामग्री जब्त की गई थी, उन्होंने छह मामले दर्ज किए

सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील।

28. अंतिम आदेश सं। 414-419 / 2009 सी. ई. एस. टी. ए. टी. (i) ने निर्धारिती, उसके प्रबंध निदेशक और बिक्री प्रबंधक द्वारा अंतर शुल्क, ब्याज और जुर्माने की मांग को चुनौती देने वाली तीन अपीलों को स्वीकार कर लिया और दिए गए निष्कर्षों के आलोक में शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारित करने के लिए मामले को भेज दिया, और (ii) मेसर्स द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। प्रेस्टीज ट्रेडर्स और दो डीलरों ने जब्ती के आदेश को चुनौती दी।

29. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और उनके कारण इस प्रकार हैं:

I. कि नीचे दिखाने के लिए भारी सबूत थे

चालान;

कि 01.07.2000 से पहले की गई बिक्री के संबंध में,

II.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सामान्य मूल्य निर्धारण विधि को अपनाना चाहिए था; COMMNR।

कि 01.07.2000 के बाद की गई मंजूरी के लिए,

III.

प्रत्येक लेन-देन के संबंध में लेन-देन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और अंतर शुल्क केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों तक सीमित होना चाहिए। कि राजस्व की स्थिति जिसमें 70 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए

IV.

सभी मंजूरियों के संबंध में समान रूप से चालान मूल्य,

स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. उक्त आदेश से व्यथित, राजस्व छह अपीलों के इस समूह, सिविल अपील संख्या के साथ आया है। 8615-8620 2009 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 2236-2253 2011 का

31. चोरी-रोधी महानिदेशालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अधिकारियों द्वारा कासरगोड जिले के कुंबला में स्थित ग्यारह प्लाईवुड निर्माण इकाइयों के परिसरों में एक ही समय में खुफिया रिपोर्टों के आधार पर तलाशी ली गई कि वे कम मूल्यांकन में लिप्त थे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बच रहे थे।

32. अपराध साबित करने वाले सबूतों को बरामद करने और रिकॉर्ड करने के बाद

33. दूसरे कारण दर्शाअ नोटिस में सात प्लाईवुड इकाइयों, अर्थात् एम/एस द्वारा कम भुगतान किए गए शुल्क की मात्रा निर्धारित की गई। राष्ट्रीय बोर्ड, मेसर्स। दरवेश प्लाईवुड्स, एम/एस। यूनीवुड्स, एम/एस। , लकड़ी शिल्प, एम/एस। यूनिवर्सल वुड क्राफ्ट कं., मेसर्स। मैलेटी वुड इंडस्ट्रीज और मेसर्स। राष्ट्रीय लकड़ी उत्पाद, रुपये में। 7,59,24,737 और रासायनिक इकाई द्वारा एम/एस नाम से कम भुगतान किया गया शुल्क। भारत केमिकल्स, रु। 9,12,375 , 1994-1995 से 1999-2000 (जून 1999 तक) की अवधि के लिए। नोटिस में ज़ब्ती के अलावा ब्याज और जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

34. इसके बाद, बारह आवधिक कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए।

प्लाईवुड निर्माण/सौदा करने वाली इकाइयों को अलग-अलग अवधि के लिए जारी किया जाता है।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. निर्धारिती और उनके उत्तरों की प्राप्ति के बाद

दोनों के मालिकों/भागीदारों को कारण बताएँ नोटिस, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कालीकट ने एक जांच की और एक आदेश पारित किया-मूल संख्या 10/2005 दिनांक 30.06.2005 में, जिसमें उन्होंने नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में नामित इकाइयों से मांगी गई शुल्क की पुष्टि की, जो कॉलम 2 में दर्शाई गई है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने तालिका के कॉलम 3 में दर्शाई गई सीमा तक उनमें से प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया।

कर्तव्य की मांग की

दंड

नाम

आर

$28,95,584 /

रुपये 28,95,584 /

एम/एस। राष्ट्रीय बोर्ड

रु. 86,01,648 /

रु.

86,01,648 /

एम/एस। दरवेश प्लाईवुड्स

रु. 72,15,522 /

रु.

72,15,522 /

एम/एस। यूनीवुड्स

रु.

73,59,665 /

रु. 73,59,665 /

एम/एस। लकड़ी के शिल्प

रु.

26,73,758 /

रु. 26,73,758 /

एम/एस। सार्वभौमिक लकड़ी शिल्प कं.

रु. 23,24,056 /

रु.

23,24,056 /

एम/एस। मैलेटी वुड इंडस्ट्रीज

रु. 61,14,236 /

रु.

61,14,236 /

एम/एस। राष्ट्रीय लकड़ी उत्पाद

रु. 5,52,839 /

रु. 5,52,839

/

एम/एस। भारत केमिकल्स

36. उपरोक्त के अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि की

धारा 11 एबी के तहत ब्याज की मांग ने जुर्माने के भुगतान पर उसे भुनाने के विकल्प के साथ सामग्री को जब्त करने का आदेश दिया और जुर्माना लगाया। हालांकि, (1) रुपये की मुद्रा। 20,66,940 और श्री से जब्त किए गए डिमांड ड्राफ्ट और चेक। मोहम्मद अरबी थे

जारी किए जाने का निर्देश दिया गया और (2) सभी इकाइयों की मंजूरी के मूल्य को एक साथ जोड़ने के कारण बारह कारणदर्शक नोटिसों में परिकल्पित कार्यवाही को हटा दिया गया।

37. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने फैसला सुनाया कि पर्याप्त था

अवमूल्यन साबित करने के लिए साक्ष्य। हालाँकि, उन्होंने यह विचार रखा कि चूंकि इकाइयाँ उद्योग, बिक्री कर और आयकर विभागों के साथ अलग से पंजीकृत थीं, इसलिए उनकी मंजूरी को लघु उद्योग छूट के लाभ से वंचित करने के लिए जोड़ा नहीं जा सकता है।

अधिसूचना संख्या 1/93।

. केंद्रीय कर, ग्राहक और सेवा कर बोर्ड और दरवाजे [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

उपरोक्त आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक 30.06.2005 के विरुद्ध आठ इकाइयों और उनके भागीदारों और मालिकों द्वारा दायर किए गए थे।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या में निष्कासन। सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा ई/1145-1161/2005 संस्करण, दिनांक 01.04.2010 के एक सामान्य आदेश द्वारा।

और उक्त आदेश द्वारा, सी. ई. एस. टी. ए. टी. निम्नलिखित पर आयाः

एम/एस। लकड़ी शिल्प, एम/एस। यूनीवुड्स, एम/एस। दरवेश प्लाईवुड, एम/एस। राष्ट्रीय बोर्ड, मेसर्स। राष्ट्रीय लकड़ी उत्पाद, एम/एस। मैलेटी वुड इंडस्ट्रीज और मेसर्स। यूनिवर्सल वुड क्राफ्ट्स कं., मामले को आयुक्त को वापस भेजना पड़ा, यह निर्णय लेने के उद्देश्य से कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा गणना किए गए कारोबार में गैर-उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं की बिक्री की आय शामिल है।

कि रिमांड के परिणामस्वरूप, सात इकाइयों पर लगाए गए दंड (जिनके नाम में इंगित किए गए हैं)

पूर्ववर्ती बिंदु) को भी दायित्व के पुनः परिमाणीकरण के बाद फिर से निर्णय लिया जाना चाहिए; कि प्लाईवुड की जब्ती के खिलाफ दायर अपीलों का मूल्य रु। 2,86, 389.20 खलील रहमान [2020] 11 एस. सी. आर. से जब्त।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्लास सेंटर, रुपये मूल्य की प्लाईवुड शीट्स की जब्ती के खिलाफ दायर अपील। 15, 056.20 मंसारूल हक से जब्त, भुगतान पर भुनाने के विकल्प के साथ

जुर्माना, और खलील रहमान और मनसरूल हक पर लगाए गए व्यक्तिगत दंड के खिलाफ दायर अपीलों को भी खारिज किया जा सकता था, और

VIII. कि अन्य सभी अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए, और मामले को ऊपर दर्शाई गई शर्तों पर पुनः निर्णय के लिए भेज दिया जाना चाहिए।

40. उक्त आदेश से व्यथित होकर, राजस्व ने अपीलों का यह समूह, सिविल अपील सं. 2236-2253 2011 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 3227-3230 2011 का

41. पूर्ववर्ती मामलों के समान, एम/एस। मैसूर चिपबोर्ड्स लिमिटेड, जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, भी निर्माण करता है।

प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्ड/कण बोर्ड। डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा उनके परिसरों में की गई तलाशी से पता चला कि निर्धारिती ने उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का कम मूल्यांकन किया था और उन्हें उनके कारखाने से हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। 7,51,53,570 इस दौरान 01.07.2000 से 28.08.2003 तक की अवधि।

42. 1 करोड़ रुपये के अंतर शुल्क की मांग करते हुए दिनांकित 21.07.2005 का एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। 7,51,53,570 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के तहत ब्याज, जुर्माना आदि।

43. निर्धारिती से उत्तर प्राप्त होने के बाद,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर ने एक जांच की और एक पारित किया

आदेश-इन-मूल संख्या 06/सी. सी. ई./2006 दिनांक 05.10.2006। मूल में इस आदेश द्वारा, आयुक्त (i) ने रुपये की राशि में शुल्क की मांग की पुष्टि की। 81,01,637 अधिनियम की धारा 11 ए (1) के परंतुक के तहत निर्धारिती से, (ii) रु। 16,00,000 निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से भुगतान किया गया, (iii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iv) रुपये का जुर्माना लगाया गया। 81,01,637 नियम 25 और (v) के साथ पठित धारा 11 एसी के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 10,00,000 एस पर। श्याम डागा, निर्धारिती के निवासी निदेशक।

44. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अवमूल्यन था

केवल (i) रुपये की सीमा तक स्थापित। 3,79,452 मैसूर में कारखाने द्वारा जुटाए गए चालानों के संबंध में, (ii) रु। 29,677 लखनऊ कार्यालय से छह पर्ची और (iii) सी. ओ. एम. एम. एन. आर. की सीमा तक।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

रु. 5,02,26,106 निर्धारिती की खेप के माध्यम से बिक्री के संबंध में

अभिकर्ता, मेसर्स। केला ब्रदर्स। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आगे फैसला सुनाया कि मेसर्स के माध्यम से बिक्री में अवमूल्यन के संबंध में साक्ष्य। उमिया एंटरप्राइजेज, मेसर्स। बालाजी ग्लास एंड प्लाईवुड्स, मेसर्स। रोहिणी प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स और निर्धारिती का लुधियाना और दिल्ली कार्यालय अपर्याप्त था।

45. मूल संख्या 06/सी. सी. ई./2006 दिनांक 05.10.2006 के आदेश से व्यथित होकर, तीन अपीलें दायर की गईं, एक निर्धारिती द्वारा और दूसरी उसके द्वारा।

46. निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर द्वारा दायर अपील की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी कि - मुख्य आयुक्तों की समिति के निर्णय के अनुसार, यह केवल था

मैंगलोर आयुक्त, न कि मैसूर आयुक्त, जो अपील दायर करने के हकदार थे।

47. उक्त आपत्ति के जवाब में, केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, मैसूर ने तब सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील में एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें मैसूर आयुक्त को अपील दायर करने के लिए अधिकृत करने वाले आयुक्तों की समिति के आदेश के लिए एक शुद्धिपत्र दर्ज किया गया।

सी. ई. एस. टी. ए. टी. (आई) ने निर्धारिती और उसके निवासी निदेशक द्वारा अंतर शुल्क, ब्याज और जुर्माने की मांग को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार कर लिया और मामले को पुनः परिमाणीकरण के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया। (ii) राजस्व द्वारा दायर अपील को अनुमति दी और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेज दिया (दिल्ली शाखा से उमिया उद्यमों और बिक्री से संबंधित मंजूरी को छोड़कर) और (iii) मैसूर आयुक्त द्वारा दायर अपील की स्थिरता से संबंधित विविध आवेदन को अनुमति दी।

49. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और उनके कारण इस प्रकार हैं:

कि रुपये की मांग। 60,712 के अंतर मूल्य के लिए

आई.

रु. 3,79,452 अंतर-कार्यालय ज्ञापन में प्रतिबिंबित मंजूरी के संबंध में सही पुष्टि की गई थी
प्राधिकरण का न्यायनिर्णयन, [2020] 11 एस. सी. आर. के वापस लेने को अस्वीकार करके।

एस के बयान। के. श्रीधर और एस. उमेदमल जैन जिन्होंने कम मूल्यांकन और अंतर एकत्र करने की बात स्वीकार की थी

नकद में राशि;

कि रुपये के शुल्क की मांग। 4748 विभेदक पर

II.

रुपये का मूल्य। 29,677 से मंजूरी के संबंध में

लखनऊ शाखा को बनाए रखा जा सकता था;

कि रुपये की मांग। 80,36,177 अंतर मूल्य पर

III.

से रु. 5,02,26,106 मेसर्स को दी गई मंजूरी के लिए। केला ब्रदर्स की पुष्टि इस सिद्धांत पर की जानी थी कि

निर्धारिती द्वारा अवमूल्यन के संबंध में संभावना की प्रधानता;

कि चूंकि मांग अंतर शुल्क की ओर थी, इसलिए

IV.

इसे ऐसी मंजूरी को शामिल करने वाले विशेष चालानों के साथ सहसंबद्ध किया जाना चाहिए था, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

नहीं किया;

वी.

कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सही ढंग से मांग को छोड़ दिया

एम/एस से संबंधित। उमिया एंटरप्राइजेज;

कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन न करने में सही था

VI.

सभी के संबंध में प्रभार और अवमूल्यन का स्तर

मंजूरी, और

VII. उस विभेदक शुल्क की मांग केवल वहीं की जा सकती है जहाँ

अवमूल्यन स्थापित किया गया था और डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2000 शुरू किए गए लेनदेन मूल्य के आलोक में, प्रत्येक निष्कासन के संबंध में इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध होने थे।

50. उक्त आदेश से व्यथित, राजस्व 4 अपीलों के इस समूह के साथ आया है, सिविल अपील संख्या। 3227-3230 2011 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 3231-3233 / 2011

51. एम/एस। प्लामा बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, मैंगलोर, जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्ड का निर्माण करता है।

राजस्व के अनुसार, डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा उनके परिसरों में की गई तलाशी से पता चला कि (i) निर्धारिती ने धोखाधड़ी से निर्मित और साफ किए गए सामान का कम मूल्यांकन किया था, (ii) मंजूरी का वास्तविक मूल्य लघु उद्योग छूट सीमा को पार कर गया था। 1,00,00,000 और (iii) कि निर्धारिती ने इस प्रकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क से रु। 2,13,70,618 01.10.2000 से 28.04.2004 तक की अवधि के दौरान।

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

52. एक लाख रुपये के अंतर शुल्क की मांग करते हुए दिनांकित 22.11.2005 का कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। 2,13,70,618 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के तहत ब्याज, जुर्माना आदि।

53. निर्धारिती से उत्तर प्राप्त होने के बाद,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैंगलोर ने एक जांच की और पारित किया

एक आदेश-इन-मूल संख्या 10/2006 दिनांकित 29.05.2006, जिसमें और जिसके द्वारा, उन्होंने (i) रुपये की राशि में शुल्क की मांग की पुष्टि की। 1,37,81,152 अधिनियम की धारा 11 ए (1) के परंतुक के तहत निर्धारिती से, (ii) रु। 5,00,000 निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से भुगतान किया गया, (iii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iv) रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1,37,81,152 नियम 25, (v) के साथ पठित धारा 11 एसी के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1,00,000 नियम 173 क्यू/नियम 25 (vi) के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 10,00,000 नियम 2019/नियम 26, और (v) के तहत रुपये का जुर्माना लगाया गया। 10,00,000 एस पर। पी. एम. ए. रज़ाक, निर्धारिती के प्रबंध निदेशक। 54. आयुक्त ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अभिलेख पर साक्ष्य से साबित होता है कि निर्धारिती ने श्री श्याम प्लाईवुड्स के माध्यम से बेचे जाने वाले सामान का लगभग 75 प्रतिशत और अन्य विक्रेताओं के माध्यम से बेचे जाने वाले सामान का लगभग 70 प्रतिशत कम मूल्यांकन किया था।

55. मूल संख्या 10/2006 दिनांकित आदेश से व्यथित

29.05.2006 , निर्धारिती, उसके प्रबंध निदेशक और आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मैंगलोर ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष तीन अपीलें दायर कीं।

56. अंतिम आदेश सं। 1145-1147 / 2010 दिनांक 26.08.2010, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने तीनों अपीलों की अनुमति दी और मामले को रिमांड पर भेज दिया।

दिए गए निष्कर्षों के आलोक में शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारण।

57. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और उनके कारण इस प्रकार हैं:

कि इस दौरान तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए बयान

आई.

जाँच निर्धारिती के कर्मचारियों द्वारा दिए गए बयानों के विपरीत थी और एक बार वापस लेने के बाद, तीसरे पक्ष के बयान अपना साक्ष्य मूल्य खो देंगे; कि पॉकेट प्लानर ने एस से बरामद किया। अशरफ थे।

II.

निर्धारिती का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक निजी डायरी; कि एम/एस के लेटरहेड पर लिखी गई कीमतें। श्री।

III.

श्याम प्लाईवुड्स की डीलरों और [2020] 11 एस. सी. आर. द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।

यहां तक कि मालिक के बयान को भी पुष्टि के रूप में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उक्त बयान को वापस ले लिया गया था;

कि एम/एस से मूल्य सूची की वसूली की गई। प्लाईडील नहीं कर सका

IV.

एम/एस के रूप में भरोसा किया जाए। प्लाईडील ने प्लाईवुड नहीं खरीदा था।

निर्धारिती से;

कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय की पुष्टि करने के लिए

वी.

75 प्रतिशत से एम/एस की सीमा तक अवमूल्यन। श्री श्याम प्लाईवुड्स और अन्य विक्रेताओं के लिए 70 प्रतिशत उचित नहीं था और इस संबंध में कम मूल्यांकन नहीं माना जा सकता था।

निर्धारिती द्वारा दी गई सभी मंजूरियों में से भौतिक अवधि, केवल कुछ की मंजूरी की जांच करके

विक्रेता;

कि अवमूल्यन और चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं है

VI.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष मंजूरी के संदर्भ में पाया गया था;

VII. कि जैसा कि प्रबंध निदेशक के बयान से देखा गया है, कम मूल्यांकन और देय राशि से कम शुल्क के भुगतान के बारे में कोई संदेह नहीं था, और

VIII. कि चूंकि विवाद 01.07.2000 के बाद मंजूरी के लिए था, इसलिए प्रत्येक लेनदेन के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाना था।

58. उक्त आदेश से व्यथित, राजस्व ने 3 अपीलों का यह जत्था पेश किया है, सिविल अपील संख्या। 3231-3233 2011 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 6564-6567 / 2011

59. एम/एस। थुम्बे होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड, मैंगलोर, जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, स्वीकार्य रूप से निर्माण करता है।

प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्ड और निर्माण और बिक्री में भी लगा हुआ है

अचल संपत्तियाँ। डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा उनके परिसरों में अपीलों के पिछले बैचों की तरह ही तलाशी ली गई, जो

पता चला कि निर्धारिती ने उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का कम मूल्यांकन किया था और उन्हें उनके कारखाने से हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। 8,37,019 01.04.2003 से 31.03.2004 तक की अवधि के दौरान।

60. इसके बाद, रुपये के अंतर शुल्क की मांग करते हुए, 11.10.2006 दिनांकित एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया। 8,37,019 , ब्याज, जुर्माना आदि।

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

61. मामलों के अन्य बैचों के विपरीत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मैंगलोर के संयुक्त आयुक्त इस मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण थे। बैच, मांग के मौद्रिक मूल्य को देखते हुए। कारण बताओ नोटिस पर निर्धारिती का जवाब प्राप्त होने के बाद, उन्होंने एक जांच की और एक आदेश-इन-मूल संख्या 20/2007 दिनांक 29.06.2007 पारित किया। इस आदेश द्वारा-मूल रूप से, संयुक्त आयुक्त (i) ने रुपये की राशि में शुल्क की मांग की पुष्टि की। 7,21,568 अधिनियम की धारा 11 ए (1) के प्रावधान के तहत निर्धारिती से, (ii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iii) 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 7,21,568 धारा 11 एसी, (iv) के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 50,000 नियम 25 और (v) के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 50,000 प्रत्येक पर एस। बी. अब्दुल सलाम, एस. जे. एम. अशरफ और एस. नियम 26 के तहत मनोज कुमार अमीन।

62. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती की ओर से कम मूल्यांकन किया गया था और इसलिए, धारा 4 (1) (ए) निर्धारिती के लेन-देन पर लागू नहीं थी और यह कि आकलन योग्य मूल्य होना चाहिए

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 11 के संदर्भ में निर्धारित किया गया। 63. मूल सं. 20/2007 दिनांकित 29.06.2007 आदेश से व्यथित, निर्धारिती, श्री. बी. अब्दुल सलाम, एस. जे. एम. अशरफ और

एस. मनोज कुमार अमीन ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष चार अलग-अलग अपील दायर की।

64. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) को बर्खास्त कर दिया गया

अपीलें।

66. अंतिम आदेश सं। 1505-1508 दिनांक 07.12.2010, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सभी चार अपीलों को स्वीकार कर लिया और दिए गए निष्कर्षों के आलोक में कर्तव्य दायित्व और दंडात्मक दायित्व के पुनः परिमाणीकरण के लिए मामले को भेज दिया। 67. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और उनके कारण इस प्रकार हैं:

गवाहों द्वारा अपने बयानों को वापस लेना

आई.

विलंबित चरण स्वीकार्य नहीं था; [2020] 11 एस. सी. आर.

कि पर्ची में प्रविष्टियों की पुष्टि की गई थी

II.

गवाहों के बयान और इसलिए 67 प्रतिशत तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी साबित हुई।

कि चूंकि 25 डीलरों में से केवल 3 ने अपना रिकॉर्ड किया था

III.

बयान और निर्धारिती को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराने वालों में से केवल एक, जिसे बाद में वापस भी ले लिया गया था, उपलब्ध कुल साक्ष्य चोरी की मात्रा निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

निर्धारिती द्वारा पूरे वर्ष के लिए; कि बैंकरों की पुस्तक के प्रावधानों का विश्लेषण

IV.

साक्ष्य अधिनियम, 1891 से पता चला कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

बैंक विवरण की मांग करने से वर्जित नहीं था;

वी.

कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सही माना कि शो कारण सूचना पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था;

VI.

कि हालांकि, कर्तव्य की चोरी का निष्कर्ष नहीं हो सका

निर्धारिती द्वारा सभी मंजूरियों पर लागू किया जाता है, और यह कि यदि संभावना की प्रधानता का मानक उस संबंध में लागू किया जाता है, तो इसमें मनमानेपन का एक तत्व होगा, और

VII. यह कि पर्ची और कुछ चालानों के आधार पर तैयार किए गए सूत्र के आधार पर देय शुल्क का न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का परिमाणीकरण अनुमेय नहीं था, और उस लेनदेन मूल्य की गणना प्रत्येक निष्कासन के संबंध में की जानी थी,

अधिनियम की धारा 4।

68. उक्त आदेश से व्यथित, राजस्व 4 अपीलों के इस समूह के साथ आया है, सिविल अपील संख्या। 6564-6567 2011 से।

दीवानी अपील सं. में तथ्य। 9988-9991 2011 का

69. अपीलों के इस अंतिम समूह के तथ्य भी पिछले मामलों के समान हैं। एम/एस। हाजी टिम्बर कॉम्प्लेक्स, मैंगलोर, जो मामलों के इस समूह में संबंधित निर्धारिती है, प्लाईवुड/ब्लॉक बोर्ड का निर्माण करता है। डी. जी. सी. ई. आई. द्वारा उनके परिसरों में की गई तलाशी से पता चला कि निर्धारिती ने उनके द्वारा निर्मित और मंजूरी दी गई वस्तुओं का कम मूल्यांकन किया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। 50,42,761 01.07.2001 से 31.03.2004 के बीच की अवधि के दौरान।

70. एक लाख रुपये के अंतर शुल्क की मांग करते हुए दिनांकित 10.10.2006 का कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। 50,42,761 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के तहत ब्याज, जुर्माना आदि।

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

71. निर्धारिती से उत्तर प्राप्त होने के बाद,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैंगलोर ने एक जांच की और

पास हो गया।

एक आदेश-इन-मूल संख्या 08/2007 दिनांकित 29.03.2007, जिसमें उन्होंने (i) रुपये की राशि में शुल्क की मांग की पुष्टि की। 40,46,923 अधिनियम की धारा 11 ए (1) के परंतुक के तहत निर्धारिती से, (ii) रु। 2,00,000 निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से भुगतान किया गया, (iii) अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए उचित दर पर ब्याज लगाया गया, (iv) रुपये का जुर्माना लगाया गया। 40,46,923 धारा 11 एसी के तहत निर्धारिती पर, (v) रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2,00,000 निर्धारिती पर 2002 के नियमों के नियम 25 के तहत और (vi) रुपये का जुर्माना लगाया।

2,00,000 प्रत्येक पर एस। बी. अब्दुल सलाम, एस. जे. एम. अशरफ और एस. 2002 के नियमों के नियम 26 के तहत मनोज कुमार अमीन।

72. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दस्तावेजी साक्ष्य

और गवाहों के बयानों से स्पष्ट रूप से पता चला कि निर्धारिती ने अपने उत्पादों का बहुत कम मूल्यांकन किया था।

73. मूल संख्या 08/2007 दिनांकित आदेश से व्यथित

29.03.2007 , निर्धारिती, एस। बी. अब्दुल सलाम, एस. जे. एम. अशरफ और

एस. मनोज कुमार अमीन ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष चार अपील दायर की।

74. अंतिम आदेश सं। 1509-1512 / 2010 दिनांकित 08.12.2010,

सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने चारों अपीलों को स्वीकार कर लिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया।

दिए गए निष्कर्षों के आलोक में कर्तव्य दायित्व और दंडात्मक दायित्व का परिमाणीकरण।

75. अभिलिखित निष्कर्ष और उसके कारण, जैसा कि द्वारा दिए गए हैं

सी. ई. एस. टी. ए. टी. निम्नलिखित हैंः

कि पर्ची और मूल्य सूचियाँ एक से बरामद की गईं

आई.

विक्रेता, बी. ए. समूह से बरामद मूल्य सूची

सामान;

कि गवाहों के प्रारंभिक बयान स्वैच्छिक थे

II.

और इसलिए, वैध साक्ष्य;

कि संभावना की प्रधानता का परीक्षण नहीं हो सका

III.

के दौरान कम भुगतान किए गए शुल्क को न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए लागू किया गया
विवाद की पूरी अवधि एक पर्ची दिखाने पर निर्भर करती है

कुछ लेनदेनों के संबंध में वास्तविक मूल्य; [2020] 11 एस. सी. आर.

कि धारा 11 ए (1) का परंतुक लागू था

IV.

वर्तमान मामला और कारण दर्शाओ नोटिस को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था, और

वी.

कि प्रत्येक विवादित निकासी पर शुल्क का आकलन किया जा सकता था

प्रत्येक निष्कासन के लिए प्रभारित विशेष मूल्य (लेन-देन मूल्य)।

76. उक्त आदेश से व्यथित, राजस्व 4 अपीलों के इस समूह के साथ आया है, सिविल अपील संख्या। 9988-9991 2011 से।

इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले सामान्य मुद्दे 77. यह इन बैचों में शामिल तथ्यों से देखा जा सकता है

आरोप है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सभी मामलों में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि कम मूल्यांकन और उत्पाद शुल्क की चोरी हुई थी। उक्त निष्कर्ष को निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए यह अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए, निर्णय के लिए जो उत्पन्न होता है वह केवल निर्धारिती द्वारा विक्रेताओं को या उनके माध्यम से बिक्री के लिए हटाए गए माल के मूल्य को निर्धारित करने का तरीका है। 78. दूसरे शब्दों में, पूरा विवाद अब शुल्क लगाने के उद्देश्यों के लिए, उत्पाद शुल्क के मूल्य निर्धारण के सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। लेकिन उक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, यह हमारे लिए आवश्यक है

मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखना। इनमें से कुछ मामलों में, मूल्यांकन की अवधि 01.07.2000 से पहले और बाद दोनों में थी और अन्य मामलों में, अवधि 01.07.2000 के बाद की थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, 01.07.2000 से पहले मूल्य निर्धारण की विधि 01.07.2000 के बाद मूल्यांकन की विधि से अलग थी, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 को 2000 के अधिनियम 10 के तहत 01.07.2000 से संशोधित किया गया था। संशोधित धारा 4 में भी वर्ष 2003 और 2012 में कुछ बदलाव किए गए। हम 2012 में किए गए परिवर्तनों से चिंतित नहीं हैं।

79. इसलिए, आइए पहले इस बात पर ध्यान दें कि 01.07.2000 से पहले और उक्त तिथि के बाद वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन कैसे था। का प्रासंगिक भाग

धारा 4 जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था और जैसा कि यह 01.07.2000 के बाद है, एक सारणीबद्ध स्तंभ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

COMMNR। केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

धारा 4 जैसा कि पहले थी। धारा 4 जैसा कि बाद में है 01.07.2000

01.07.2000 , जिसमें शामिल हैं

2003 में संशोधन लेकिन नहीं

संशोधन सहित

2012

4. कर योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन

4. कर योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन

शुल्क के प्रभार के उद्देश्यों के लिए

शुल्क के प्रभार के उद्देश्यों के लिए

उत्पाद शुल्क से।

उत्पाद शुल्क से। -

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत, कर्तव्य

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत, कर्तव्य

उत्पाद शुल्क किसी पर भी लगाया जाता है।

उत्पाद शुल्क किसी पर भी लगाया जाता है।

के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ

के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ

मूल्य, ऐसा मूल्य, के अधीन होगा

उनका मूल्य, फिर, प्रत्येक हटाने पर

इस धारा के अन्य प्रावधान

माल का ऐसा मूल्य

माना जाता है कि

((क) उसकी सामान्य कीमत,

((a) उस स्थिति में जहाँ माल

इसका मतलब है, जिस कीमत पर

निर्धारिती द्वारा बेचे जाते हैं,

क्योंकि

इस तरह के सामान आमतौर पर बेचे जाते हैं।

समय और स्थान पर वितरण

निर्धारिती द्वारा एक खरीदार को

हटाने का, निर्धारिती

थोक व्यापार का मार्ग

और माल का खरीदार नहीं है

समय पर वितरण के लिए और

संबंधित और कीमत एकमात्र है

हटाने का स्थान, जहाँ

बिक्री के लिए विचार करें

खरीदार कोई संबंधित व्यक्ति नहीं है

लेन-देन मूल्य;

और कीमत एकमात्र है

(ख) किसी भी अन्य मामले में,

सहित

बिक्री के लिए विचारः

मामला जहाँ माल है

इस तरह से निर्धारित किया गया

कि

निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि

((i) जहां के अनुसार

स्पष्टीकरण। हटाने के लिए

सामान्य अभ्यास

सन्देह के कारण, यह एतद्वारा घोषित किया जाता है

ऐसे में थोक व्यापार

कि मूल्य-सह-शुल्क

ऐसी वस्तुएँ बेची जाती हैं।

द्वारा बेची जाने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ

निर्धारिती द्वारा अलग-अलग

विभिन्न वर्गों के लिए कीमतें

खरीदारों की संख्या (संबंधित नहीं है [2020] 11 एस. सी. आर.

निर्धारिती कीमत होगी

व्यक्ति) प्रत्येक ऐसी कीमत

वास्तव में उसे माल के लिए भुगतान किया गया

होगा, अस्तित्व के अधीन

अन्य परिस्थितियों में

बेचा गया और धन का मूल्य अतिरिक्त विचार, यदि कोई हो,

खंड (क) में विनिर्दिष्ट किया गया है

से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहती है

सामान्य माना जाता है

निर्धारिती के लिए खरीदार

संबंध में ऐसी वस्तुओं की कीमत

इस तरह की बिक्री से संबंध

खरीदारों के प्रत्येक ऐसे वर्ग के लिए;

माल और ऐसी कीमत-सह-शुल्क, बिक्री कर और अन्य को छोड़कर

वास्तव में भुगतान किए गए कर, यदि कोई हों, तो माना जाए कि इसमें कर्तव्य शामिल है

ऐसी वस्तुओं पर देय।

(आई. ए.) जहाँ कीमत पर

(2) इस धारा के प्रावधान

इस तरह के सामान आमतौर पर बेचे जाते हैं।

किसी भी संबंध में लागू नहीं होगा

निर्धारिती द्वारा अलग है

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ जिनके लिए शुल्क लगाया जाता है

विभिन्न स्थानों के लिए

मूल्य उप के तहत तय किया गया है

हटाना, प्रत्येक ऐसी कीमत

धारा 3 की धारा (2)।

होगा, अस्तित्व के अधीन

अन्य परिस्थितियों में

खंड (क) में विनिर्दिष्ट, (3) इस उद्देश्य के लिए

अनुभाग

सामान्य माना जाता है

ऐसे प्रत्येक स्थान पर हटाने;

(क) "निर्धारिती" का अर्थ है [।]

((ii) जहाँ ऐसी वस्तुएँ बेची जाती हैं।

(ख) व्यक्तियों को माना जाएगा

पाठ्यक्रम में निर्धारिती द्वारा

" संबंधित "यदि-[.]

थोक व्यापार के लिए

समय और स्थान पर वितरण

एक निश्चित मूल्य पर हटाने का

समय के लिए किसी भी कानून के तहत (ग) "हटाने का स्थान" का अर्थ है बल में होना, या एक कीमत पर,

((i) कारखाना या कोई अन्य

अधिकतम होने के नाते, निश्चित

का स्थान या परिसर

ऐसे किसी भी कानून के तहत,

उत्पादन या निर्माण

किसी भी बात के बावजूद

उत्पाद शुल्क की वस्तुएँ;

एम. एन. आर. के खंड (iii) में निहित।

((ii) एक गोदाम या कोई अन्य

यह परंतुक, कीमत या

अन्य स्थान या परिसर

अधिकतम कीमत के रूप में

मामला, इस प्रकार तय किया जा सकता है,

जेराव खाजोना लानाय जायो।

सामान हो गया है

माल के संबंध में इस प्रकार

जमा करने की अनुमति

बेचा जाता है, माना जाता है

शुल्क का भुगतान किए बिना,

इसकी सामान्य कीमत;

((ग) एक डिपो, परिसर

((ग) जहां निर्धारिती ऐसा करता है।

एक खेप एजेंट या

व्यवस्था करता है कि माल हैं

कोई अन्य स्थान या

आम तौर पर उसके द्वारा नहीं बेचा जाता है

जहाँ से

थोक में

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ होनी चाहिए

को छोड़कर या उसके माध्यम से व्यापार

एक संबंधित व्यक्ति,

उनकी मंजूरी के बाद बेचा गया

कारखाने से;

माल की सामान्य कीमत निर्धारिती द्वारा बेचा गया या

इस तरह के संबंध के माध्यम से व्यक्ति को माना जाएगा कि

ऐसी वस्तुएँ कहाँ से आती हैं

जिस कीमत पर वे

हटा दिए जाते हैं;

आम तौर पर बेचे जाते हैं

संबंधित व्यक्ति थोक व्यापार का क्रम

हटाने के समय, से

(cc) "हटाने का समय", में

विक्रेता (संबंधित नहीं हैं)

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का सम्मान

व्यक्ति) या जहाँ ऐसे

जगह से हटा दिया गया

सामान ऐसे लोगों को नहीं बेचा जाता है।

उप में संदर्भित निष्कासन

विक्रेताओं के लिए (होने के नाते)

खंड (ग) का खंड (iii),

संबंधित व्यक्ति) जो बेचते हैं

माना जाता है कि समय पर

खुदरा में ऐसी वस्तुएँ;

जिन वस्तुओं को साफ किया जाता है

कारखाने से;

(घ) "लेन-देन मूल्य" का अर्थ है

वास्तव में भुगतान की गई कीमत या

(ख) जहाँ सामान्य मूल्य है।

माल के लिए देय, जब

ऐसी वस्तुओं का नहीं है

बेचा जाता है, और इसके अलावा शामिल है

के लिए सुनिश्चित

प्रभारित राशि के रूप में

ऐसा कारण है कि ऐसी वस्तुएँ

कीमत, कोई भी राशि जो

नहीं बेचे जाते हैं या किसी के लिए नहीं

खरीदार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या

अन्य कारण, निकटतम

निर्धारिती की ओर से

सुनिश्चित करने योग्य समतुल्य

कारण, या संबंध में

इसमें निर्धारित किया गया है

बिक्री के साथ, क्या देय [2020] 11 एस.

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस तरह से हो सकता है

बिक्री के समय या पर

किसी अन्य समय, सहित, लेकिन

निर्धारित किया गया।

किसी भी राशि तक सीमित

नहीं

(2) जहाँ, किसी के संबंध में

के लिए प्रभारित, या बनाने के

लिए

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत

विज्ञापन के लिए प्रावधान या

स्थान पर वितरण के लिए

प्रचार, विपणन और

हटाने का पता नहीं है और

संगठन बेचना

इसके मूल्य के साथ निर्धारित किया जाता है

खर्च, भंडारण, बाहर की ओर

मूल्य के लिए संदर्भ

संभालना, सेवा, वारंटी,

के अलावा किसी अन्य स्थान पर वितरण

कमीशन या कोई अन्य

हटाने का स्थान, लागत

बात; लेकिन शामिल नहीं है

स्थान से परिवहन

उत्पाद शुल्क की राशि,

वितरण स्थल पर हटाना

बिक्री कर और अन्य कर, यदि

इस तरह से बहिष्कृत किया जाएगा

वास्तव में भुगतान किया गया

या वास्तव में

कीमत।

ऐसी वस्तुओं पर देय।

(3) [.....]

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) "निर्धारिती" का अर्थ है [।]

(ख) "हटाने का स्थान"

मतलब

((i) एक कारखाना या कोई अन्य स्थान या परिसर

उत्पादन

या

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ;

((ii) गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर आई. एम. एन. आर.।

केंद्रीय कर, ग्राहक और सेवा कर एस. सेरा बोर्ड और दरवाजे [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

जिसमें उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना उत्पाद शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई है;

(iii) एक डिपो, एक खेप एजेंट का परिसर या किसी अन्य स्थान या परिसर से उत्पाद शुल्क को कारखाने से उनकी मंजूरी के बाद बेचा जाना है और,

ऐसी वस्तुएँ कहाँ से आती हैं

हटा दिए जाते हैं;

(ख) "हटाने का समय", में

हटाने के स्थान से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट

खंड (ख) का होगा

माना जाता है कि वह समय

ऐसी कौन सी वस्तुएँ हैं

कारखाने से हटा दिया गया;

(ग) "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ है

[.....]

((घ) "मूल्य", किसी भी संबंध में

(i) जहां सामान को पैक की गई स्थिति में हटाने के समय वितरित किया जाता है, उसमें ऐसी पैकिंग की लागत शामिल होती है, सिवाय पैकिंग की लागत के जो एक करोड़ रुपये की होती है।

टिकाऊ प्रकृति का होता है और खरीदार द्वारा निर्धारिती को वापस किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण। [.....]

((ii) उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

ऐसी वस्तुओं पर देय और, इस तरह के अधीन

नियम जो बनाए जा सकते हैं, व्यापार छूट (ऐसी छूट नहीं दी जा रही है)

चालू पर वापसी योग्य

किसी भी

खाता जो भी हो) सामान्य अभ्यास के अनुसार अनुमत हटाए जाने के समय बेचे गए या बिक्री के लिए अनुबंधित ऐसे माल के संबंध में थोक व्यापार का।

स्पष्टीकरण। [.....] एमएमएनआर।

केंद्रीय कर, ग्राहक और सेवा कर एस. सेरा बोर्ड और दरवाजे [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

अधिकारी और अन्य खरीदार, जो या जो उन्हें खरीदते हैं आवश्यकताएँ/अन्यथा

खुदरा की तुलना में।

80. सरल शब्दों में, मूल्यांकन के 2 अलग-अलग तरीके थे

धारा 4 में रिब जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले थाः

(i) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा कवर किया गया, जहां सामान्य मूल्य पर जोर दिया गया था, जिसका निर्धारण थोक व्यापार (कुछ शर्तों को पूरा करने) के दौरान सामान्य बिक्री से सह-संबंधित था, और ((ii) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा कवर किया गया दूसरा, जो उन मामलों से संबंधित है जहां कोई बिक्री नहीं थी, और ऐसे मामले जहां किसी अन्य के लिए सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका था।

कारण।

81. 2000 में संशोधन से पहले 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निहित अनुदेशों का सारांश इस प्रकार हैः

पहले नियम के रूप में, सामान्य कीमत, अर्थात् वह कीमत जिस पर

आई.

ऐसी वस्तुओं को आम तौर पर थोक में बेचा जाता है।

व्यापार को मूल्य के रूप में लिया जाएगा, यदि खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं है और मूल्य उसी के लिए एकमात्र विचार है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग शुल्क लिया जाता है

II.

खरीदारों के ऐसे प्रत्येक वर्ग के संबंध में ऐसी प्रत्येक कीमत को सामान्य कीमत माना जाना चाहिए।

इसी तरह, अगर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कीमतें ली जाती हैं।

III.

हटाने के लिए, सामान्य कीमत में ली गई कीमत होगी

हटाने के प्रत्येक ऐसे स्थान के संबंध में।

IV.

किसी संबंधित व्यक्ति को छोड़कर या उसके माध्यम से थोक व्यापार, सामान्य मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर माल [2020] 11 एस. सी. आर. होगा।

आम तौर पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है,

अन्य विक्रेताओं को थोक व्यापार।

82. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 4 (1) (ए) के तहत, जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था, उसमें निर्धारित मूल्यांकन की विधि सीधे थी।

थोक व्यापार के दौरान एक साधारण बिक्री के लिए सामान्य मूल्य से जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसे मामलों में जहां सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता था, वह धारा 4 (1) (बी) के तहत आएगा और ऐसे मामलों में मूल्यांकन वर्ष 1975 के मूल्यांकन नियमों के संदर्भ में किया जाना था। खंड (बी) एक स्थिति की पहचान करता है, अर्थात् जहां माल नहीं बेचा जाता है, जिसमें सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, खंड (बी) इस तथ्य को भी मान्यता देता है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सामान्य मूल्य है

किसी अन्य कारण से पता नहीं चल सकता है। ये मामले हो सकते हैं

इसमें थोक व्यापार के अलावा अन्य प्रकार की बिक्री शामिल है।

83. यद्यपि "सामान्य मूल्य" शब्दों का उपयोग धारा 4 (1) (ए) में किया गया था, खंड (ए) के परंतुक ने इस तथ्य को मान्यता दी कि सामान्य मूल्य की आवश्यकता है।

यह सार्वभौमिक रूप से समान नहीं है, लेकिन खरीदारों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में या हटाने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकता है। 84. 2000 के अधिनियम 10 के तहत संशोधन द्वारा, 01.07.2000 से प्रभावी, "सामान्य मूल्य" शब्द और "थोक व्यापार के दौरान" शब्द हटा दिए गए थे। इसके बजाय, धारा 4 (1) (ए) में "लेन-देन मूल्य" शब्द जोड़े गए थे।

85. जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर द्वारा सही बताया गया है

" लेन-देन मूल्य "किसी भी सामग्री को मानित से अलग करता है। अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 4 (1) (ए) की सामान्य मूल्य अवधारणा। अपने फैसले के अंतिम पैराग्राफ में संविधान पीठ ने जवाब दिया

यह प्रश्न निम्नलिखित तरीके से है:

" इसके अलावा, हम मानते हैं कि "लेन-देन मूल्य" जैसा कि परिभाषित किया गया है

टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर) को प्रभाव देने के अलावा धारा में शुरू किए गए उत्पाद शुल्क के बदले हुए विवरण

3 2000 के संशोधन द्वारा अधिनियम। वास्तव में हम हैं

विचार है कि वैधानिक में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर v. एम/एस। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

"लेन-देन मूल्य" की अवधारणा और न्यायिक रूप से विकसित "सामान्य मूल्य" का अर्थ है।

86. हालांकि ग्रासिम इंडस्ट्रीज में संविधान पीठ ने नोट किया

अंतर का प्रमुख क्षेत्र, अर्थात् 01.07.2000 से पहले की धारा 4 (1) (a) का ध्यान थोक व्यापार के दौरान सामान्य रूप से की गई बिक्री के संबंध में सामान्य मूल्य का पता लगाने पर था। मूल्यांकन की विधि, जहां कोई बिक्री नहीं थी, इस आधार पर होनी थी धारा 4 (1) (बी) को ध्यान में रखते हुए नियम। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां बिक्री हुई थी

(i) थोक व्यापार के दौरान लेकिन खंड (क) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुईं या

((ii) किसी अन्य कारण से सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका।

मूल्यांकन की विधि को धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत निर्धारित करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया था। इसका निहितार्थ

88. "लेन-देन मूल्य" का पालन करने के लिए धारा 4 (1) के तहत मूल्यांकन के लिए, (संशोधन के बाद) खंड (ए) में निर्धारित तीन शर्तें, अर्थात् (i) कि माल की डिलीवरी के लिए उस समय और स्थान पर बेचा जाता है जब हटाने, (ii) कि निर्धारिती और खरीदार संबंधित नहीं हैं और (iii) कि कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है, का समाधान किया जाना चाहिए।

89. यदि खंड (क) (ऊपर इंगित) में उल्लिखित तीन शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो मामला खंड (ख) के तहत आएगा।

धारा 4 की उप-धारा (1), जो "किसी अन्य मामले में" शब्दों से शुरू होती है। दूसरे शब्दों में, खंड (ए) द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों में, मूल्य का निर्धारण उस तरीके से किया जा सकता है जो निर्धारित किया जाए।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

90. 2000 के अधिनियम 10 के तहत संशोधन के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 नामक नियमों का एक नया सेट जारी किया। ये नियम 1975 के मूल्यांकन नियमों के स्थान पर धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे। 91. उपरोक्त 2000 नियमों के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का मूल्य उक्त नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार मूल्यांकन की अनुमति है।

केवल धारा 4 (1) (बी) द्वारा कवर किए गए मामलों में और धारा 4 (1) (ए) द्वारा नहीं। हाथ में मुद्दों के उद्देश्य के लिए, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है

उपरोक्त नियमों को गहराई से पढ़ें।

92. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि कोई बिक्री धारा 4 (संशोधन के बाद) की उप धारा (1) के खंड (ए) द्वारा कवर की जाती है, तो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य 'लेन-देन मूल्य' होगा। इस अभिव्यक्ति 'लेन-देन मूल्य' को धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (डी) में परिभाषित किया गया है। लेकिन यदि कोई मामला धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के दायरे में नहीं आता है, तो उत्पाद शुल्क का मूल्य 2000 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

नियम। 93. इसलिए, संक्षेप में, एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य है, उन लेन-देनों के संबंध में जो बाद में हुए थे।

01.07.2000 :

(i) सबसे पहले, उसे यह देखना होगा कि क्या कोई बिक्री है और

(ii) इसके बाद, उसे यह देखना होगा कि क्या ऐसी बिक्री धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्धारित तीन शर्तों को पूरा करती है।

94. जिन मामलों में बिक्री होती है और धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्धारित तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को लेन-देन मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करना चाहिए। लेकिन (i) ऐसे मामलों में जहां कोई बिक्री नहीं होती है और (ii) ऐसे मामलों में जहां बिक्री होती है, लेकिन खंड (क) में निर्धारित तीन शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 का पालन करना चाहिए।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण के पास क्या था और

इन मामलों में ऐसा नहीं किया गया।

पहले, आइए देखें कि उन्होंने क्या किया, यह देखने से पहले कि उन्होंने क्या किया, हाथ में मामलों के जत्थों में (एक या दो अपवादों के साथ),अथॉरिटीज निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचेः

01.07.2000 , चालान मूल्य, चालान मूल्य के ऊपर और ऊपर भुगतान की गई नकदी के साथ, सामान्य मूल्य या लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसा भी मामला हो, और कि उन मामलों में जहां यह दिखाने के लिए सबूत थे कि ए

व्यापारी ने चालान मूल्य से अधिक का भुगतान किया था, ऐसी राशि जो ऐसे व्यापारी द्वारा भुगतान की गई पाई गई थी, हालांकि निर्धारिती के साथ किए गए कई लेनदेनों में से केवल कुछ के लिए ही संबंधित है, इसे सामान्य मूल्य या लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, उन सभी लेनदेनों पर लागू होता है जो विशेष व्यापारी के साथ थे। मूल्यांकनकर्ता।

इसी तरह, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने इन सभी मामलों में जो किया वह हैः

अवमूल्यन और कर्तव्य की चोरी के निष्कर्ष को बनाए रखना; यह मानने के लिए कि चालान मूल्य को 01.07.2000 से पहले के मामलों के संबंध में सामान्य मूल्य के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है और वह

जहाँ वास्तव में एक विशेष राशि पाई जाती है

01.07.02000 के बाद के मामलों के लिए लेन-देन मूल्य; और यह अभिनिर्धारित करना कि सामान्य मूल्य या लेन-देन मूल्य का निर्धारण, जैसा भी मामला हो, केवल अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन सभी के लिए नहीं

बोर्ड भर में लेनदेन।

लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. भी मामलों के इन बैचों में कुछ करने के लिए लालायित हैं। वे इस प्रकार हैंः

यह पता लगाने में विफलता, धारा 4 (1) द्वारा कवर किए गए मामलों में, जैसा कि यह 01.07.2000 से पहले था, क्या 3 शर्तों को पूरा करते हुए थोक व्यापार के दौरान बिक्री हुई थी।

उप-धारा के खंड (क) के अधीन आने वाला उसमें विहित

(1) या क्या विचाराधीन बिक्री धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत आती है; [2020] 11 एस. सी. आर.

((ख)

धारा 4 (1) द्वारा कवर किए गए मामलों में यह पता लगाने में विफलता

2000 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधित किया गया है जिसके प्रभाव से

01.07.2000 , क्या विचाराधीन बिक्री धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आती है;
पता लगाने में विफलता, बिक्री में गिरावट की स्थिति में

(iii)

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत (संशोधन से पहले या बाद में), क्या मूल्यांकन केवल नियमों (1975 नियम या 2000 नियम, जैसा भी मामला हो) के अनुसार किया जाना था, और

(iv) धारा 4 (1) (बी) द्वारा कवर किए गए मामलों में, विशिष्ट नियम जो 1975 या 2000 नियमों में लागू होता है, क्योंकि विभिन्न आकस्मिकताओं को कवर करने वाले अलग-अलग नियम हैं, का पता लगाने में विफलता,

1975 के नियमों और 2000 के नियमों दोनों में।

98. चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी.

ऊपर बताए अनुसार कोई निर्धारण करने में विफल रहने पर, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित रिमांड के आदेश, हालांकि पूरी तरह से अलग कारणों से, उचित थे। इसलिए कानूनी मुद्दों पर स्पष्टीकरण के साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित रिमांड के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलों का निपटारा किया जा सकता है ताकि न्यायनिर्णायक अधिकारियों को पता चले कि आगे कैसे बढ़ना है।

निष्कर्ष

99. जुर्माने में, इन अपीलों का निपटारा किया जाता है, जो सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित मूल आदेशों को दरकिनार करते हुए सी. ई. एस. टी. ए. टी. के विवादित आदेशों की पुष्टि करते हैं। अधिकारियों का निर्णय लेना और मामलों को पुनः निर्णय के लिए वापस भेजना। तथापि, पुनर्विलोकन का अभ्यास करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों को नीचे दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिएः

A. ऐसे मामले जहां मूल्यांकन की अवधि 01.07.2000 से पहले की है

सबसे पहले उस कीमत का पता लगाएँ जिस पर ऐसी वस्तुएँ आम तौर पर होती हैं।

आई.

निर्धारिती द्वारा एक ऐसे खरीदार को बेचा जाता है जो उससे संबंधित नहीं है, थोक व्यापार के दौरान, समय और स्थान पर हटाने और यह भी पता लगाने के लिए कि क्या कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है

इसका पता लगाने में सक्षम, वह सामान्य कीमत के रूप में ऐसी कीमत ले सकता है और मामले को धारा 4 (1) (ए), एमएनआर द्वारा कवर किया जा सकता है।

केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। सेरा बोर्ड एंड डोर्स [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

जहाँ भी अनुमति हो, वहाँ प्रिस्क्रिप्शनों को लागू करना धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) के परंतुक में।

यदि सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो या तो कारण के लिए

II.

और ऐसे मामलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहारा लें (मूल्यांकन) नियम, 1975।

खंड में दिखाई देने वाला वाक्यांश "किसी अन्य कारण से"

III.

4 (1) (ख) ऐसे मामले शामिल होंगे जहां थोक व्यापार के दौरान ली गई कीमत स्पष्ट नहीं है या जहां

समान, हालांकि स्पष्ट है, इसे हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी से नहीं जोड़ा जा सकता है या जहां कीमत नहीं है

बिक्री के लिए एकमात्र विचार, भले ही कीमत

हटाने का समय और स्थान उपलब्ध हैं। यदि मामला धारा 4 (1) (बी) और न्यायनिर्णायक के तहत आता है

IV.

प्राधिकरण मूल्यांकन के तरीके का सहारा लेता है

1975 के नियमों में निर्धारित, वह यह पता लगाएगा कि प्रासंगिक नियमों में से कौन सा पहले के मामलों पर लागू होगा। मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ना।

B. ऐसे मामले जहां मूल्यांकन की अवधि 01.07.2000 के बाद है

सबसे पहले विशेष रूप से "लेन-देन मूल्य" का पता लगाएं।

आई.

धारा 4 (3) (घ) में निहित उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा का संदर्भ।

इस प्रकार निर्धारित लेन-देन मूल्य को उन मामलों में लागू करें जहां

II.

तीन शर्तें, अर्थात् (i) माल को हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बेचा जाता है, (ii) निर्धारिती और खरीदार संबंधित नहीं हैं और (iii) कीमत एकमात्र विचार है, संतुष्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामले इसके अंतर्गत आते हैं।

धारा 4 (1) (ए)।

ऐसे मामलों में जहां उपरोक्त तीन शर्तों में से एक या अधिक

III.

वे संतुष्ट नहीं हैं, और ऐसे मामलों में भी जहां कोई बिक्री नहीं है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को मामलों को धारा 4 (1) (बी) के तहत आने वाले मामलों के रूप में मानना चाहिए और इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (व्यय योग्य मूल्य का निर्धारण) का सहारा लेना चाहिए। माल) नियम, 2000।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि कोई मामला धारा 4 (1) (बी) और न्यायनिर्णायक के तहत आता है।

IV.

प्राधिकरण मूल्यांकन के तरीके का सहारा लेता है 2000 के नियमों में निर्धारित, वह यह पता लगाएगा कि इनमें से कौन सा

संबंधित नियम पहले के मामले पर लागू होंगे।

मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ना।

समान रूप से लागू होने वाले सिद्धांत (संशोधन से पहले और बाद दोनों) ग. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण प्राप्त किसी भी राशि पर विचार कर सकता है।

धारा 4 (1) (ए) (संशोधन के बाद) के तहत आने वाले मामलों में भी उत्पाद शुल्क के मूल्य के रूप में चालान मूल्य के ऊपर या नकद में, धारा 4 (3) (डी) के तहत "लेनदेन मूल्य" की परिभाषा का अर्थ है वास्तव में भुगतान या देय मूल्य।

घ. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि

जबकि संशोधन से पहले धारा 4 (1) में "सामान्य मूल्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया था, धारा 4 (3) (डी) में "लेनदेन मूल्य" अभिव्यक्ति को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा दोनों के रूप में समावेशी है। साथ ही संपूर्ण भी।

ई. जहाँ कहीं भी यह पता चलता है कि किसी विशेष विक्रेता/ग्राहक ने चालान में जो दिखाई देता है, उससे अधिक राशि का भुगतान किया है, उसके द्वारा चालान मूल्य के साथ किए गए अतिरिक्त भुगतान को उन सभी लेनदेनों के लिए लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाएगा जो विशेष विक्रेता/ग्राहक ने निर्धारिती के साथ किए थे। सरल शब्दों में, यदि किसी विक्रेता/ग्राहक ने विचाराधीन अवधि के दौरान 10 खरीदारी की है, तो चालान में बताए गए एक विशेष मूल्य के लिए, लेनदेन मूल्य उन लेनदेनों में से कुछ से संबंधित सामग्री के आधार पर निर्धारित, उस अवधि के लिए उस ग्राहक/विक्रेता के सभी लेनदेनों पर लागू किया जा सकता है। हालांकि, समान मूल्य अन्य विक्रेताओं/ग्राहकों पर लागू नहीं किया जा सकता है। संशोधन के बाद उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

च. चूंकि मामले एक दशक से अधिक पुराने हैं, इसलिए न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई कर सकते हैं, और उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकते हैं।

पार्टियां और जितनी जल्दी हो सके मूल रूप से आदेश पारित करें।

अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के बारे में।

दिव्या पांडे

अपीलों

का निपटारा किया गया।